तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
22/2/2021	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी व नायव तहसीलदार उप0। पत्रावली में वहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने वहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि प्रार्थी सही नाम वजरंगसिंह पुत्र रेवत सिंह है। परन्तु राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय प्रार्थी का गलत नाम वजरंगसिंह पुत्र खेतसिंह दर्ज किया गया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। उप0 नायव तहसीलदार ने कोई एतराज नही किया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में पूर्व जमावन्दी 2032–35, 2036–39, 2049–2052 की प्रतियां पेश की।	

वहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम वजरंगसिंह पुत्र खेतसिंह अंकित है। प्रार्थी का कथन कि प्रार्थी का नाम का सही नाम वजरंगसिंह पुत्र रेवत सिंह है की पुष्टि पूर्व जमावन्दी 2032–35, 2036–39, 2049–2052 की प्रतियां से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम भगोट स्थित भूमि खसरा नम्बर 596 व 597 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में <u>बजरंगसिंह पुत्र खेतसिंह</u> के स्थान पर <u>बजरंगसिंह पुत्र रेवत सिंह</u> दुरुस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.02.27 20:07:05 IST
Reason: SelfAttested

(वृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना